

ग्राम-जात्रा दिनांक - ५-३-१०, ग्राम संख्या / ग्रामनामकारी (विवर) जात्रा नाम।

卷四 癸卯年— 18 / 2009-10



पर्म- १४३ ज्ञानविद्यालय
सीज़-काम
प्राचीन ए सारील इस विषय
प्रति
प्राचीन विषय

3



ધનદીલાલ બાબતાડ મારાંગિયાં

गवाहिनीका द्वारा निर्मित अदाय करने वाली दिनांक 25-12-2010 प्रयोग की गई जानकारी का अनुसार इसका विवरण निम्नांक है।

• 2004-2005

प्रतिलिपि कर्ता /
मिलान कर्त्तव्यपत्री 5187201

प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कल्पना प्रधान मही
प्रधानमंत्री विजयवर्षी (प्रधा)
प्रधानमंत्री विजयवर्षी।

प्राचीन अंग्रेजी वाक्यों में *monastic* एवं *monasticism* का अर्थात् निष्ठा वा

विज्ञ प्रार्थना पत्र का दिनांक 27/9/3
 विज्ञ प्रार्थना पत्र का दिनांक 1-2-13
 अपार्टमेंट/पार्थी का नाम अंतर्राष्ट्रीय अपार्टमेंट
 निवास स्थान का दिनांक 5/2/43
 निवास बदल करने का दिनांक 06-2-13

सत्य प्रतिलिपि
राजा अमितेश्वर

11. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंगूशर) – समूर्ध भवन में फायर एक्सटिंगूशर का अधिनियम 2190 के अनुसार प्राप्तियान किया गया है।
12. स्मोक एक्सट्रैशन सिस्टम – स्मोक एक्सट्रैशन सिस्टम –
 - ए– फायर बैक डोर, स्मोक बैक डोर की लाकड़ान व रेटिंग – आवश्यक नहीं है।
 - बी– सिस्टम की नैकाज्ञ एजर हेतु व्यवस्था – आवश्यक नहीं है।
 - सी– स्मोक रिपर्ट वापर एवं अनुमतित स्मोक लेवर आदि को जापारित करते हेतु एक्सट्रैशन सिस्टम का तकनीकी प्रिस्लेषण –आवश्यक नहीं है।
13. प्रेशराइजेशन प्रणाली –
 1. स्थानी पर प्रेशराइजेशन की गई है व प्रदूषक होने वाले फैन्स की डिकिटम इत्यादि आवश्यक नहीं है।
 2. प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टर्लॉकिंग – आवश्यक नहीं है।
14. एकिजट साइनेज – समूर्ध भवन में एकिजट साइनेज स्वापित किये गये हैं।
15. पी ०१० सिस्टम – पी०१० सिस्टम समूर्ध भवन प्राप्तियानित है।

उपरोक्तनुसार वि यागत विद्यालय को अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी तर्ती के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाता है।

1. भवि य में यदि विद्यालय भवन में कोई निर्माण / परिवर्तन किया गया है। तो उसकी सूखना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से पुनः अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. वैकल्पिक विद्युत ब्रोड के अन्तर्गत उपलब्ध जनरेटर के पास 01 अद्व सीओटू फायर एक्सटिंगूशर समता 4.5 किलो वामता का उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
3. भवन से विद्युत भार के अनुसार एम०सी०बी०/इ०एल०सी०बी० का प्राप्तियान करना सुरिक्त करते तथा मीटर रूम/इलेक्ट्रिक रूम 01 अद्व सीओटू फायर एक्सटिंगूशर समता 4.5 किलो वामता का उपलब्ध रखना सुरिक्त करेंगे।
4. प्राप्तियानिक अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखना तथा अग्निशमन विभाग से इस प्रकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था संतो जनक तथा कार्यशील दशा में है।
5. विद्यालय की दौचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुँच मार्ग, सेटबैक, फायर रक्षण व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार कमी नहीं की जायेगी।
6. विस्कोटक / जालनशील पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नहीं किया जायेगा।
7. विद्यालय भवन में जिन कमरों में एक ही दर्खाजा है उन कमरों में 40 से अधिक छात्र/छत्राओं को नहीं बैठायेंगे।
8. विद्यालय में उपलब्ध सबमर्सेबुल पम्प से०३ एमएम साइज का थ्रेटेंड फ्लैज लगाया जायेगा।
9. उपरोक्त उल्जन्धन पर निर्गत अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र रक्त ही निरस्त समझा जायेगा।

अत अग्निशमन अधिकारी घाटमपुर कानपुर नगर की संस्कृति के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन चन्द्र शोखर आजाद गहाविद्यालय जामू विधन कानपुर नगर। का अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता ले।

संलग्न—अनुमोदित मानवित्र


मुख्य अग्निशमन। अधिकारी
 मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्रियांग
 कानपुर नगर

प्रतिलिपि –

1. अग्निशमन अधिकारी घाटमपुर, कानपुर नगर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संख्या— ५५२४
०९/१२-२०१५



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण—पत्र

नवीनीकरण संख्या :— 1232/2014-15

फाइल संख्या :— K-33699

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि— चन्द्रशेखर आजाद शिक्षा समिति, ग्राम व पोस्ट-जाँमू तहसील कानपुर जिला—कानपुर नगर को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र संख्या **1082/2004-2005**

दिनांक..... 30-11-2004..... को दिनांक..... 30-11-2014..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000/- रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक:— 01-12-2014

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर
पत्राक—सीएफओ / रकूत—निरीक्षण —16
सेवा मे,

दिनांक : जनवरी ७, २०१६

प्रबन्धक

चन्द्र शोखर आजाद महाविद्यालय जामू कानपुर नगर।

विषय— जामू कानपुर नगर मे निर्मित / प्रस्तावित चन्द्र शोखर आजाद महाविद्यालय भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या हृत्य दिनांक 01.01.16 का अवलोकन करे, जिसके हारा मानचित्र प्रस्तुत करते हुए उक्त विद्यालय भवन हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई थी।

प्रस्तुत भवन के पैरियाल मानचित्रों मे पायी गयी कमियों के निवारण हेतु इस कार्यालय के समान पत्र दिनांकित 05.01.16 हारा आपत्ति निर्गत की गयी जिसकी कमियों का निवारण कर उपलब्ध कराये गये मानचित्र/अभिलेखों के अधार पर स्थानीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी घाटपुर, कानपुर नगर हारा कराया गया। निरीक्षणोपराना उपलब्ध काराई गई आठ्या बा. सुरक्षागत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या विन्दुवार निम्नवत है—

भवन की संरचना—

1. बुल भूखण्ड एरिया 22323.00 वर्गमीटर
2. भूतल निर्मित कबड्डी एरिया 2671.05 वर्गमीटर
3. प्रधान तल कबड्डी एरिया 2671.05 वर्ग मीटर
4. भवन की ऊँचाई 07.00 मीटर
5. भवन का अधिभोग एवं हैजाई श्रेणी प्रस्तुत भवन अधिभोग एन०बी०सी० की शैक्षणिक भवन की श्रेणी के अन्तर्गत शर्मिकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था—

1. पहुँच मार्ग— भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 20 मीटर सेंड की चौड़ाई एन०एच० है।
2. प्रवेश हार की चौड़ाई — 5.00 मीटर है जो मानक के अनुसार है।
3. सीटबैक— प्रस्तावित भवन का सेट बैक निम्नवत है।
ए—अग्रभाग— 15.00 मीटर
बी—पू छाना 4.5मीटर
सी—पाइप्बेन्हाग—8.00 मीटर
डी—पाइप्बेन्हाग—6.00 मीटर
4. शिकास मार्ग— भवन चूलाल मे ही निर्मित है। तथापि भवन मानचित्रों मे 02 अद्द स्टेपर केस दशाये गये है।
5. रिप्यूज एरिया का विवरण :-

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था— नेशनल विलिङ्ग कोड आफ हिंडया—2005 के अनुसार निम्नानिंत अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी आवश्यक हैं।

1. भूमिगत टैक — आवश्यक नहीं है।
2. पम्प— आवश्यक नहीं है।
3. होपरील— आवश्यक है।
4. बेटराइजर— आवश्यक नहीं है।
5. यार्ड हाइडेन्ट, होज कॉम्प्रेसर होज, ड्राईपाइप व फायर सर्विस हनलेट — आवश्यक नहीं है।
6. हस्ताचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम— आवश्यक नहीं है।
7. स्वाचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म तिस्टम — आवश्यक नहीं है।
8. स्वाचालित स्प्राक्टर सिस्टम — आवश्यक नहीं है।
9. टैरेस टैक — आवश्यक नहीं है।
10. टैरेस पम्प — आवश्यक नहीं है।